राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1905

03 जनवरी, 2018 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा घाटा उठाए जाने के कारण

1905. श्री वि॰ विजयसाई रेड्डीः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की लिस्टिंग के तौर तरीकों पर गौर करने हेतु हाल में एक दल ने उक्त कंपनी का दौरा किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जब कोई नवरत्न कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही हो तब उसका विनिवेश किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) विगत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को घाटा होने के क्या कारण हैं और मंत्रालय स्थिति को बदलने हेतु क्या प्रयास कर रहा है; और

(ङ) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को आबद्ध खान नहीं दिए जाने से उसे कितना नुकसान हो रहा है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क): जी नहीं।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग): आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने भारत सरकार की विनिवेश नीति के अनुसार आरआईएनएल में भारत सरकार की 100% शेयरधारिता में से आरआईएनएल की 10% प्रदत्त इक्विटी का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के जरिए विनिवेश किए जाने के प्रस्ताव को वर्ष 2012 में सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(घ): हानियों के मुख्य कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ बाजार में प्रतिकूल परिस्थितियां होना, इस्पात उत्पादों की बिक्री से शुद्ध प्राप्तियां कम होना, आयातित एवं घरेलू कोयला कीमतों में वृद्धि होना और अंतर्राष्ट्रीय इस्पात उद्योग में मंदी आना इत्यादि शामिल है।

इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में होती है। सरकार द्वारा घरेलू इस्पात उद्योग की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपचारी उपाय किए गए हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ व्यापारिक उपायों के रूप में एंटी-डंपिंग शुल्क लगाना, सेफगार्ड शुल्क लगाना और न्यूनतम कीमत मूल्य को अस्थायी रूप से लागू करना शामिल है; गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किया गया है, जिसके द्वारा सभी इस्पात उत्पादों और आयातों पर बीआईएस मानक अंकित करना अनिवार्य हो गया है; सरकारी खरीद में घरेलू निर्मित लोहा और इस्पात उत्पादों की नीति को अधिसूचित किया गया है, जो घरेलू मूल्यवर्धन को सुविधाजनक बनाती है; और घरेलू इस्पात क्षेत्र के दीर्घकालीन विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 अधिसूचित की गई है।

(ङ): हानियों के प्रमुख कारण उपरोक्त (घ) के उत्तर में दर्शाए गए हैं।

******